

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिनमें वह हो : मुकेश दत्त 2. वर्तमान धारित पद सहायक प्रबन्धक (मन्त्र)

3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... 1.11.10
ग्रुप वेतन 7250 + DA

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिरामें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरा		**वर्तमान मूल्य	यादि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>आर. गुजरगैडा</u> <u>ग.ए. नं. 1</u> <u>जिला इन्दौर</u>	<u>भूखण्ड</u> <u>25x40</u>	<u>— —</u>	<u>6,00,000/-</u>	<u>स्वयं के नाम पर</u>	<u>पञ्जी लैंड</u> <u>प्लॉट 25-500</u> <u>आर्जा - लि. च्यांग</u> <u>पृथ्वी कंस,</u> <u>शासकीय गट भोपाल</u> <u>के गृह मंत्र</u> <u>लखनऊ</u> <u>वर्ष 1999</u>	<u>कुछ नहीं</u>	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 ** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभिव्यक्ति को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या भोपडा पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति का व्योरा दें।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम मुकेश दत्त
 पद सहायक प्रबन्धक (मन्त्र)